प्रकरण संख्या 15/2018 2018/00062 ता0रजू 05.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

यशवंत शर्मा पुत्र श्री ब्रहमानंद शर्मा आयु 39 साल जाति ब्राहमण निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0 — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली राज0 — रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2018 माननीय जिला रसद अधिकारी करौली राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 धारा 22

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा दिनांक 26.05.2017 को अपीलार्थी की स्थाई दुकान ग्राम पंचायत चिनायटा 1/2 भाग के स्टॉक में 493.3 क्विं. गेंहूं व अटैच भाग चिनायटा 1/2 में 119.06 क्विं. गेंहूं तथा अटैच ग्राम पंचायत शेरपुर में 671. 25 क्विं. गेंहूं शेष होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर अवशेष स्टॉक को अटैच डीलरों को सुपुर्द किये जाने एवं सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये लेकिन अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा निलंबन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 12257/17 उनवानी यशवंत शर्मा बनाम राज्य सरकार दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 की पालना में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 03.01.2018 को अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। प्रकरण में पुनः जांच करवाने पर ग्राम पंचायत चिनायटा की स्थाई व अस्थाई तथा ग्राम पंचायत शेरपुर की अस्थाई दुकान सहित तीनों दुकानों पर कुल 1360.95 क्विं. गेंहू, 7.28.500 क्विं. चीनी व 14393.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाये जाने एवं अपीलार्थी डीलर को बार–बार पाबंद करने के बावजूद अटैच डीलरों को अवशेष स्टॉक सुपुर्द नहीं किये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकर पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 26.05.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें श्री यशवंत शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चिनायटा के स्टॉक में 493.3 क्विंटल गेंहू व अटैच भाग चिनायटा 1/2 भाग चिनायटा 1/2 भाग 119.06 क्विंटल गेंहू एवं अटैच ग्राम पंचायत शेरपुर में 671.25 क्विंटल गेंहू शेष होना बताया। उक्त अनियमितता पर कार्यालय आदेश क्रमांक 4789–95 दिनांक 29.05.2017 द्वारा श्री यशवंत शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चिनायटा को निलंबित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 12257/2017 यशवंत शर्मा बनाम सरकार दर्ज करायी गयी जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

दिनांक 19.12.2017 को निर्णय पारित किया गया उक्त निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा अप्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आदेश क्रमांक 11–17 दिनांक 03.01.2018 द्वारा बहाल किया गया था। प्रकरण में पुनः प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन से जांच करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट श्री यशवंत शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चिनायटा की सितम्बर 2016 से मई 2017 तक की ऑनलाईन रिपोर्ट से गेंहू के आवंटन पोश मशीन से वितरण के पश्चात् डीलर के स्टॉक में अवशेष गेंहू की दिनांक 31.05.2017 तक की जांच की गई जिस पर अपीलाण्ट के खिलाफ एफ.आई.आर. नं. 156/18 थाना सूरौठ दर्ज करवाई गई थी जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 08.03.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमानजी के यहां अपील पेश की जा रही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.03.2018 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विरूद्ध, आर्बीट्रेरी, कयासो के आधार पर पारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही अपीलाण्ट पर नोटिस की असालतन तामील हुयी है। रेस्पोण्डेण्ट माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना, जवाब को समय दिये बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रवर्तन अधिकारी द्वारा स्टॉक की जांच नही की गई है केवल फर्द मौका रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अपीलाण्ट के खिलाफ ग्राम पंचायत चिनायटा की फर्द मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बिना मौके पर जाये गलत रूप से बनाकर श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णस अपास्त होने येाग्य है। अपीलाण्ट के खिलाफ ग्राम पंचायत चिनायटा 1/2 भाग के अस्थायी अटैच डीलर के खिलाफ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में गलत रूप से फर्द मौका रिपोर्ट पेश की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रवर्तन अधिकारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बगैर गलत रूप से आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। जैर अपील आदेश दिनांक 08.03.2018 की जानकारी अपीलाण्ट के घर पर पुलिस आने पर दिनांक 25.06.2018 को जानकारी होने पर दिनांक 04.07.2018 को निर्णय की नकल की दरख्वास्त पेश की जो अपीलाण्ट को दिनांक 04.07.2018 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 26.05.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा रिपोर्ट पेश की कि ग्राम पंचायत चिनायटा 1/2 भाग के स्टॉक में 493.3 क्विं. गेंहूं व अटैच भाग चिनायटा 1/2 में 119.06 क्विं. गेंहूं तथा अटैच ग्राम पंचायत शेरपुर में 671.25 क्विं. गेंहूं शेष है जिसे उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया गया है। उक्त अनियमितता पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित कर स्टॉक को अटैच डीलरों को सुपुर्द करवाये जाने एवं सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया तथा अपीलार्थी के घर के अन्दर होने एवं नोटिस लेने से मना कर देने पर उसके खुले आबाद मकान पर नोटिस की प्रति चस्पा कर तामील की गई है परंतु बार–बार अवसर दिये जाने पर भी डीलर द्वारा ना तो स्टॉक को अटैच डीलर को संभलाया गया और ना ही कार्यालय में सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुआ और ना ही अपने पक्ष में कोई जवाब, सबूत, साक्ष्य प्रस्तुत किये। अपीलार्थी द्वारा निलंबन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या

जिला कलक्टर
करौली

12257/17 उनवानी यशवंत शर्मा बनाम राज्य सरकार दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 की पालना में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 03.01.2018 को अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। प्रकरण में पुनः कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकानों की दिनांक 01.09.2016 से 31.05.2017 तक गेंहूं व चीनी तथा दिनांक 01.10.2016 से 31.05.2017 तक केरोसीन की ऑडिट की गई। अपीलार्थी की मूल व अटैच राशन दुकान ग्राम पंचायत चिनायटा पर अंकेक्षण अवधि में कुल 1840 क्विं. गेंहूं की आमद में से 1206.25 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 633.75 क्विं. गेंहूं, कुल आमद 34.50 क्विं. चीनी में से 31.83 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.67 क्विं. चीनी एवं कुल आमद 10200 लीटर केरोसीन में से 5660.50 लीटर केरोसीन के बाद 4539.50 लीटर केरोसीन शेष रहता है। इसी प्रकार उक्त अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत शेरपुर की अटैच राशन दुकान पर कुल 1658 क्विं. गेंहूं की आमद में से 930.80 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 727.20 क्विं. गेंहूं, कुल आमद 24.50 क्विं. चीनी में से 19.89.500 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 4.61.500 क्विं. चीनी एवं कुल आमद 13700 लीटर केरोसीन में से 3846 लीटर केरोसीन के बाद 9854 लीटर केरोसीन शेष रहता है। इस प्रकार अपीलार्थी डीलर के पास कुल 1360.95 क्विं. गेंहूं, 7.28.500 क्विं. चीनी एवं 14393.5 लीटर केरोसीन शेष रहता है जिसे बार–बार पाबंद करने के बावजूद अपीलार्थी डीलर द्वारा अटैच डीलरों को सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर पुनः दिनांक 23.01.2018 को अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। परंतु अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब, साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये। इससे अपीलार्थी का यह आरोप गलत है कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा अटैच डीलरों को अवशेष स्टॉक सुपुर्द नहीं किये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के पास ग्राम पंचायत चिनायटा के 1/2 भाग की स्थाई दुकान के अतिरिक्त ग्राम पंचायत चिनायटा की ही 1/2 की अटैच दुकान व ग्राम पंचायत शेरपुर की अटैच दुकान है। अपीलार्थी राशन डीलर की उक्त तीनों दुकानों के स्टॉक में (493.3 क्विं. + 119.06 क्विं. + 671.25 क्विं.) कुल 1283.61 क्विं. गेंहूं शेष रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना, अटैच डीलर को अवशेष स्टॉक को सुपुर्द नहीं करना पाया गया। अपीलार्थी की उक्त अनियमितताओं पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पुनः

कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकानों की दिनांक 01.09.2016 से 31.05.2017 तक गेंहूं व चीनी तथा दिनांक 01.10.2016 से 31.05.2017 तक केरोसीन की ऑडिट की गई। अपीलार्थी की मूल व अटैच राशन दुकान ग्राम पंचायत चिनायटा पर अंकेक्षण अवधि में कुल 1840 क्विं. गेंहूं की आमद में से 1206.25 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 633.75 क्विं. गेंहूं, कुल आमद 34.50 क्विं. चीनी में से 31.83 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.67 क्विं. चीनी एवं कुल आमद 10200 लीटर केरोसीन में से 5660.50 लीटर केरोसीन के बाद 4539.50 लीटर केरोसीन शेष रहता है। इसी प्रकार उक्त अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत शेरपुर की अटैच राशन दुकान पर कुल 1658 क्विं. गेंहूं की आमद में से 930.80 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 727.20 क्विं. गेंहूं,

जिला कलक्टर
करौली

कुल आमद 24.50 क्विं. चीनी में से 19.89.500 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 4.61.500 क्विं. चीनी एवं कुल आमद 13700 लीटर केरोसीन में से 3846 लीटर केरोसीन के बाद 9854 लीटर केरोसीन शेष रहता है। इस प्रकार अपीलार्थी डीलर के पास कुल 1360.95 क्विं. गेंहूं, 7.28.500 क्विं. चीनी एवं 14393.5 लीटर केरोसीन शेष रहता है जिसे बार–बार अपीलार्थी को पाबंद किये जाने के बावजूद अटैच डीलरों को सुपुर्द नहीं किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया है। इसलिये सुनवाई हेतु समय ना दिये जाने का आरोप गलत है। अपीलार्थी द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। अतः हम रेस्पोण्डेण्ट के कथनों से सहमत है एवं अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 08.03.2018 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर के पास शेष रही राशन सामग्री 1360.95 क्विं. गेंहूं, 7.28.500 क्विं. चीनी एवं 14393.5 लीटर केरोसीन की नियमानुसार वसूली की जावे एवं प्राप्त राशि को जमा राजकोष कर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली